राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/ 2020/224 दिनांकः– 06/7/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, मानसरोवर, एवं दस्तकार नगर (नायला), जयपुर में निर्मित जयपुर चौपाटी में दुकानों के संचालन, परिसर की साफ–सफाई, रख रखाव की जांच हेतु गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण समिति (Quality Control & Inspection Committee) गठित करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1–	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.मण्डल,जयपुर	संयोजक
2–	संबंधित जोन के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	सदस्य
3–	सम्बन्धित चौपाटी के उप आवासन आयुक्त	सदस्य
4–	सम्पदा प्रबन्धक (मुख्यालय), रा.आ.मण्डल,जयपुर	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वाद, साफ सफाई आदि का समय–समय पर निरीक्षण, जांच एवं दुकानदारों से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की जांच कर उनका निस्तारण करने का कार्य किया जायेगा ।

समिति द्वारा प्राप्त शिकायत की सुनवाई, निरीक्षण व जांच के उपरान्त शिकायत सही पायी जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः–

(i) प्रथम अनियमितता पर 10000/– रू. जुर्माना लगाया जायेगा।

(ii) द्वितीय पुनरावृर्त्ति पर राशि रू. 15000/– का जुर्माना वसूला जायेगा।

(iii) तीसरी बार पुनरावृत्ति पर लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त समितियों के अतिरिक्त उप आवासन आयुक्त से उच्च स्तर के मुख्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण द्वारा भी आवासन आयुक्त के निर्देशों पर निरीक्षण किया जा सकता है एवं दोषी पाये जाने पर उपरोक्तानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

दूकानदारों द्वारा समितियों द्वारा पारित निर्णय की अपील आवासन आयुक्त को की जा सकेगी एवं आवासन आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

D/DRB/OFFICE ORDER

प्रतिलिपिः **निम्न को सूचनार्थ :–**

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि / मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर / जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. प्रभारी मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/DRB/OFFICE ORDER